

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान जयपुर

क्रमांक:- एफ 2 (ग) (एसीपी)/1981-III/अलेसे-II/ 8745-46 दिनांक:- 24-07-2012

कार्यालय आदेश संख्या 140/2012-13

राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक प. 11 (7) एफडी/ रुल्स/2008/दिनांक 12.09.08 एवं दिनांक 06.10.08 एवं वित्त विभाग के आदेश क्रमांक एफ-14(38)एफडी(नियम) 2008-। दिनांक 31.12.09 के अनुसरण में श्री लक्ष्मीनारायण मानधनियां, लेखाकार जिनकी जन्मतिथि 01.08.1930 है तथा जिन्होंने कनिष्ठ लेखाकार के पद पर सीधी भर्ती परीक्षा उत्तीर्ण कर दिनांक 21.09.1982 को कार्यग्रहण किया था। इन्होंने 27 वर्ष की राजकीय सेवा निरन्तर एवं सन्तोषजनक पूर्ण कर ली है, को दिनांक 21.09.2009 से कनिष्ठ लेखाकार के पद का तृतीय ए.सी.पी. पी.बी.-2, 9300-34800 पे-बैंड एवं रुपये 4800 ग्रेड पे में स्वीकृत किया जाता है।

श्री लक्ष्मीनारायण मानधनियां, लेखाकार के वार्षिक गोपनीय प्रतिवेदन एवं वित्त विभाग के आदेश क्रमांक एफ. 14 (38) एफडी (नियम) 2008-। दिनांक 31.12.09 में दो हुई शर्तों के सम्बन्ध में संतोषजनक सेवा सम्बन्धी प्रमाण पत्र व सन्तान सम्बन्धी घोषणा प्राप्ति के आधार पर ए.सी.पी. स्वीकृत किया जाता है।

उपरोक्त लेखाकार के वांछित वार्षिक कार्यमूल्यांकन प्रतिवेदन प्राप्त नहीं होने के कारण वित्त विभाग के आदेश प.14 (38) वित्त/नियम/08 दिनांक 7.6.11 द्वारा स्पष्टीकरण के आधार पर गत वर्षों की प्राप्त एपीएआर व संतोषजनक सेवा एवं प्रमाण पत्र प्राप्त होने के आधार पर उक्त ए.सी.पी. इस शर्त पर स्वीकृत किया जाता है कि भविष्य में प्राप्त उक्त अवधि के वार्षिक कार्यमूल्यांकन प्रतिवेदन में प्रतिकूल प्रविष्टि होने पर प्रकरण पुनः खोला जावेगा तथा वार्षिक कार्यमूल्यांकन प्रतिवेदन के आधार पर ए.सी.पी. स्वीकृति के बारे में निर्णय लिया जाकर तदनुसार संशोधित कर दिया जावेगा।

श्री लक्ष्मीनारायण मानधनियां, लेखाकार का वेतन निर्धारण वित्त विभाग के उक्त आदेश दिनांक 12.03.2008 के पैरा 19, आदेश दिनांक 06.10.2008 एवं एफ-14(38)एफडी(नियम) 2008-। दिनांक 31.12.09 के अनुसार सम्बन्धित कार्यालयाध्यक्ष द्वारा निर्धारित किया जावेगा। इस स्वीकृति व वेतन निर्धारण की प्रविष्टि आवश्यक रूप से सम्बन्धित लेखाकार की सेवापुस्तिका में की जावे। वेतन निर्धारण से पूर्व सम्बन्धित कार्यालयाध्यक्ष द्वारा यह सुनिश्चित कर लिया जावे कि सम्बन्धित लेखाकार ए.सी.पी. स्वीकृत तिथि को राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतनमान) 2008 में ग्रेड पे 4200/- प्राप्त कर रहे हैं।

dbm
निदेशक

क्रमांक:- एफ 2 (ग) (एसीपी)/1981-III/अलेसे-II/ 8745-46 दिनांक:- 24-07-2012
प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष- उपनिदेशक, निरीक्षण विभाग, राज. जयपुर।
2. श्री लक्ष्मीनारायण मानधनियां, लेखाकार, कार्यालय- उपनिदेशक, निरीक्षण विभाग, राज. जयपुर।
3. निजी सहायक निदेशक महोदय।
4. निजी पत्रावली/गार्ड फाईल/गोपनीय अनुभाग/कम्प्यूटर अनुभाग (वेबसाइट हेतु)।

Sharma
संयुक्त निदेशक (कार्मिक-1)